रजिस्टर्ड पत्र/तत्काल

संख्या:जी.आई.-138 आर/छ:-पु-5-545/97

प्रेषक,

श्री शारदा प्रसाद,
सचिव, गृह,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिला मजिस्ट्रेट (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 25 नवम्बर, 1997

विषय: शस्त्र रखने के लिये लाइसेन्स स्वीकृत करना-वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के संगत उपबन्धों को प्रभावी रूप से लागू करने के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के परिपत्र संख्या:5-11026/97-आर्म्स, दिनांक 03 नवम्बर, 1997 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वन्य जीव (संरक्षण)अधिनियम, 1972 की धारा-34 के अनुसार किसी पशु विहार यह राष्ट्रीय पार्क के 10 किमी0 के अन्दर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास शस्त्र लाइसेन्स है को अपना नाम मुख्य वन्य जीव वार्डन या प्राधिकृत अधिकारी के पास दर्ज कराना होगा तथा यह कि

राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन की पूर्व सहमति के बिना किसी पशु विहार या राष्ट्रीय पार्क के 10 किमी0 के अन्दर आयुध अधिनियम 1959 के अन्तर्गत कोई लाइसेन्स स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

2- इसके साथ ही वन्य जीव (संरक्षण)अधिनियम, 1972 की धारा-50 व 51 मे उक्त अधिनियम के उपबन्धों की किसी हथियार से उल्लंघन करने पर दिया जाने वाला दण्ड निर्धारित है तथा उसकी धारा-51 की उपधारा-(4)के अनुसार "जब किसी व्यक्ति को इस अधनियम के अन्तर्गत किसी अपराध के लिये दोषी पाया जाय तो यह निर्देश दे सकता है कि यदि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के विरूद्ध जिस शस्त्र से अपराध किया है उस शस्त्र को रखने के लिये यदि उस व्यक्ति को आयुध अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत कोई लाइसेन्स स्वीकृत किया गया हो तो लाइसेन्स कर दिया जायेगा और यह भी कि उक्त व्यक्ति का दोष सिद्व होने की तारीख पांच वर्ष की अवधि के लिये आयुध अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत लाइसेन्स का नही होगा।

3- अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त प्राविधानों को जनपद के शस्त्र लाइसेंसों की स्वीकृति से संबंधित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संज्ञान तथा उनका प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति निश्चित रूप से एक सप्ताह के अन्दर शासन को सूचित की जाये।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,

(शारदा प्रसाद)
सचिव, गृह।

संख्या: जी0आई0-138(1)आर/छः-पु-5-1997, तददिनांक

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को भी संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त परिक्षेत्रीय उप पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4- सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय(शस्त्र) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली।

(शारदा प्रसाद)
सचिव, गृह।